संख्या–5629/23–5–20–8(भवन)/2020

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2 प्रमुख अभियन्ता (ग्रा0स0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3 मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक : 29 मई, 2020**

विषयः प्रदेश में रू0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के भवन निर्माण कार्यों को ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 13.12.2019 एवं 25.03.2020 द्वारा प्रदेश में रू0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के भवन निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने हेतु नीति निर्धारण किया गया है।

2– उक्त के क्रम में कतिपय बिन्दुओं पर दिशा–निर्देश दिये जाने के अनुरोध संबंधी प्रमुख अभियन्ता(ग्रा0स0), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–657जी/194(1)वी0पी0विंग/2020, दिनांक 12.05.2020 व पत्र सं0–657(1)जी/194(1) वी0पी0विंग/2020, दिनांक 14.05.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रू0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के भवन निर्माण कार्यों को ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने के संबंध में निम्न प्रकिया का अनुसरण कराये जाने की इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की जाती है कि उक्त कार्यों के सन्दर्भ में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 13.12.2019 एवं शासनादेश दिनांक 25.03.2020 का अनुपालन किया जायेगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Manual For Procurement Consultancy & Other Services 2017 के प्राविधानों का विचलन न होने पाये :–

1. रू0 50 करोड़ से अधिक लागत के भवनों के ई0पी0सी0 मोड पर निर्माण हेतु परामर्शियों (Comprehensive Consultants) का चयन लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, लखनऊ पर किया जायेगा।
2. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मैनुअल के प्रस्तर–3.2 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार परामर्शियों का चयन एकमुश्त धनराशि (फर्म फिक्स्ड प्राईस) के आधार पर किया जायेगा।
3. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1230(ईजी)/23–5–13–25ईजी/13 दिनांक 16.07.2013 द्वारा फिक्स्ड प्राईस कान्ट्रैक्ट के कार्यों के सम्पादन हेतु लोक निर्माण विभाग में भवन सेल का गठन किया गया था। वर्तमान में रू0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के भवनों को ई0पी0सी0 मोड पर निर्माण कार्यों की तात्कालिकता एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक इस शासनादेश द्वारा गठित भवन सेल द्वारा ही ई0पी0सी0 मोड के कार्यों को कराया जायेगा तथा भवन सेल में अपेक्षित

अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती होने तक तात्कालिक व्यवस्था के रूप में मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा मुख्य अभियन्ता, भवन सेल का कार्य भी किया जायेगा।

4. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मैनुअल के प्रस्तर–5.1.3 में परामर्शियों की शार्ट–लिस्टिंग हेतु ई–पोर्टल के माध्यम से कार्यवाही किये जाने के प्राविधानों के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक ई–पोर्टल पर निविदा सम्बन्धित कार्य अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ–रायबरेली वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सम्पादित कराया जायेगा।

5. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मैनुअल के प्रस्तर–5.1.6 के प्राविधानों के अनुसार निर्गत की जाने वाली मानक ई0ओ0आई0 (रूचि की अभिव्यक्ति) का अनुमोदन शासनादेश संख्या–893/23–1–2007–49सा/05 दिनांक 05.06.2007 द्वारा गठित ''उच्च तकनीकी समिति'' द्वारा किया जायेगा।

6. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मैनुअल के प्रस्तर–4.3 में टी0ओ0आर0 का अनुमोदन सक्षम स्तर से किया जाना अपेक्षित है। मैनुअल के प्रस्तर–4.1 के आधार पर विभाग में मानक टी0ओ0आर0 का अनुमोदन भी उक्त बिन्दु सं0–5 में इंगित समिति द्वारा किया जायेगा।

7. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मैनुअल के प्रस्तर–6.2 में आर0एफ0पी0 का निर्धारण एवं प्रस्तर–6.5.1 में परामर्शी मूल्यांकन समिति द्वारा आर0एफ0पी0 निर्गत किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार विभाग में मानक आर0एफ0पी0 का अनुमोदन भी उक्त बिन्दु सं0–5 में इंगित समिति द्वारा किया जायेगा। आर0एफ0पी0 का निर्गमन मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

8. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मैनुअल के प्रस्तर–5.2.9 में मूल्यांकन समिति द्वारा ई0ओ0आई0 का परीक्षण करते हुए आख्या सक्षम स्तर को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार विभाग में परामर्शियों के चयन हेतु प्राप्त ई0ओ0आई0 का परीक्षण एवं मूल्यांकन निम्नवत गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा :–

i. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ के साथ ई0पी0सी0 कार्यों हेतु सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ता – सदस्य/संयोजक

ii. अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ–रायबरेली वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ – सदस्य

iii. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लो0नि0वि0, लखनऊ – सदस्य

सदस्य/संयोजक द्वारा मूल्यांकन आख्या मुख्य अभियन्ता (भवन) को प्रेषित की जायेगी।

9. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मैनुअल के प्रस्तर–6.5 में परामर्शियों के चयन हेतु 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा चयन किया

जाना अपेक्षित है। तदनुसार विभाग में परामर्शियों का चयन निम्नवत गठित 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा किया जायेगा :–

i. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ – सदस्य/संयोजक
ii. मुख्य अभियन्ता (वि0/यां0), लो0नि0वि0, लखनऊ – सदस्य
iii. मुख्य वास्तुविद, लो0नि0वि0, लखनऊ – सदस्य
iv. वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, लखनऊ – सदस्य
(वित्त विभाग के प्रतिनिधि)
v. कार्य से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा – सदस्य
नामित अधिकारी/विषय–विशेषज्ञ।

10. ई0पी0सी0 मोड पर कार्यों को कराने के लिए परमर्शियों के चयन हेतु प्रत्येक कार्य के लिए पृथक–पृथक ई0ओ0आई0 आमंत्रित की जायेगी।

11. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मानीटरिंग कमेटी का गठन किया जायेगा जिसका प्रारूप निम्नवत होगा :–

(1) प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन – अध्यक्ष।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, सम्बन्धित विभाग, उ0प्र0 शासन। – सदस्य।
(3) प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ। – सदस्य।
(4) मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ – सदस्य/संयोजक।
(5) वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, लखनऊ – सदस्य।

भवदीय,
23/5/2020
(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या–573(1)/23–5–2020–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
3– मुख्य अभियन्ता(मु0–1), लो0नि0वि0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।